

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

**eF. No. 6/2(x)/2026-BO-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services**

New Delhi, Dated the 12 August 2026
Shravan 21, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (2) of Section 7 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby nominates Dr. Rishi Pal (DoB: 05.06.1970) as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), for a period of three years from the date of issuance of this notification or until further orders, whichever is earlier.

(Sanjay Kumar Mishra)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई एफ . संख्या. 6/2(x)/2026-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

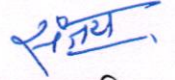
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 2026

श्रावण 21, 1948 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, डॉ ऋषि पाल (जन्म तिथि: 05.06.1970) को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मंडल में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली